राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड,
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांक : प.8(3) प.आ./पर्यवेक्षक/ RSMSSB/ 2015 /553 दिनांक : 20-11-15

विज्ञप्ति

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या रू. 2000 /– तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । इसी तरह धारा 7 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या रू. 5000 /– तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । इसके अलावा बोर्ड द्वारा भी परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करने के अलावा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा में बैठने पर एक वर्ष से लेकर आजीवन (परीक्षार्थी के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर पॉच वर्ष के लिए और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या अपने एवज में किसी अन्य द्वारा परीक्षा दिये जाने के मामलों में आजीवन) रोक लगाई जा सकती है ।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की गहन जॉच की व्यवस्था की गई है । अतः परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटा पहले अवश्य पहुँच जायें ताकि वे जॉच के बाद समय पर परीक्षा कक्ष में पहुँच सकें ।

परीक्षार्थी अनुचित साधनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्लूटूथ, घड़ी आदि साथ में लेकर नहीं आवें और इनका उपयोग नहीं करें । परीक्षा केन्द्र में सिर्फ ई–प्रवेश पत्र, नीला पारदर्शी बॉल पेन, स्वयं का पासपोर्ट साईज नवीनतम रंगीन फोटो और फोटोयुक्त एक पहचान पत्र साथ में लेकर आने की ही अनुमति है । विस्तृत जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www. rsmssb. rajasthan. gov.in देखें।

(सांवरमल वर्मा)
सचिव